



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102025-266932
CG-DL-E-15102025-266932

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4533]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 14, 2025/आश्विन 22, 1947

No. 4533]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 14, 2025/ASVINA 22, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2025

सं. 41 / 2025—2026

विषय: आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I(आयात नीति) के अध्याय 29 के तहत शामिल सल्फाडायजीन एपीआइ की आयात नीतिगत शर्त में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 4662(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 29 के तहत शामिल निम्नलिखित एचएस कोडों की आयात नीतिगत शर्त को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित करती है:

आइटीसी (एचएस) कोड	विवरण	मौजूदा आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
29359013	सल्फामेथोक्साज़ोल, सल्फापयूराज़ोल, सल्फाडायज़ीन, सल्फाडिमिडीन, सल्फासेटामाइड: ----- सल्फाडायज़ीन	मुक्त	—	(क) तथापि, 1,774 रुपये प्रति किलोग्राम से कम सीआईएफ मूल्य वाले सल्फाडायज़ीन एपीआई का आयात 30.09.2026 तक 'प्रतिबंधित' है।
29359090	सल्फामेथोक्सीपाइरिडारिन, सल्फामेथियाज़ोल, सल्फामोक्सोल, सल्फामाइड: ----- अन्य	मुक्त	—	

2. उपर्युक्त मदों पर एमआईपी शर्त, अग्रिम प्राधिकार-पत्र धारकों, निर्यातान्मुख इकाइयों (ईओयू) और एसईजेड में इकाइयों द्वारा आयात के लिए लागू नहीं होगी, बशर्ते कि आयातित निविष्टियां घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में नहीं बेचे जाएं

अधिसूचना का प्रभाव:

आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 29 के अंतर्गत सल्फाडायज़ीन एपीआई का आयात, जिसका सीआईएफ मूल्य 1,774 रुपये प्रति किलोग्राम से कम है, तत्काल प्रभाव से 30.09.2026 तक 'प्रतिबंधित' हैं तथापि, अग्रिम प्राधिकार-पत्र धारकों, ईओयू और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में स्थित इकाइयों द्वारा आयातित सल्फाडायज़ीन एपीआई को एमआईपी शर्त से छूट होगी

[फा. सं. 1 / 89 / 180 / 55 / एएम-25 / पीसी-2(ए) / ई-44029]

अजय भादू, अपर सचिव एवं महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2025

No. 41 /2025-26

Subject: Amendment in Import Policy Condition of Sulfadiazine API covered under Chapter 29 of ITC (HS), 2022, Schedule-I (Import Policy)-regarding.

S.O. 4662(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Import Policy Condition of the following HS codes covered under Chapter 29 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy) with immediate effect, as under:

ITC(HS) Code	Description	Existing Import Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
29359013	Sulphamethoxazole, sulphafurazole, sulphadiazine, sulphadimidine, sulphacetamide: -- -- Sulphadiazine	Free	—	

29359090	Sulphamethoxypyridarine, sulphamethiazole, sulphamoxole,sulphamide: ---- Other	Free	-	(a)However, import of Sulphadiazine API having a CIF value of less than Rs. 1,774 per kg, is 'Restricted' till 30.09.2026.
----------	---	------	---	--

2. MIP condition on the above items shall not be applicable for imports by Advance Authorization holders, Export Oriented Units (EOUs) and units in the SEZs, subject to the condition that the imported inputs are not sold into the Domestic Tariff Area(DTA).

Effect of the Notification:

Import of Sulfadiazine API under Chapter 29 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy), having a CIF value of less than Rs. 1,774 per kg, is 'Restricted' till 30.09.2026, with immediate effect. However, Sulfadiazine API imported by Advance Authorization holders, EOUs, and units in SEZs shall be exempted from MIP condition.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/55/AM-25/PC-2(A)/E-44029]

AJAY BHADOO, Addl. Secy. and, Director General of Foreign Trade